बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
–::कार्यालय आदेश::–

का0आ0सं0:–7/अ0प्र0–1–01/2026 108 /पटना, दिनांकः– 03/01/2026

ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत माननीय न्यायालय में दायर वादों में तथ्य विवरणी तैयार करने एवं प्रतिशपथ पत्र/कारण पृच्छा दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किया जाता है:–

(i) प्रशाखा–07 द्वारा CCMS में प्राप्त रिट याचिका की प्रति संबंधित प्रशाखा/Engg. कोषांग को 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करायी जाएगी।

(ii) रिट याचिका में वर्णित मामले से संबंधित प्रशाखा विभाग में सूचीबद्ध पैनल अधिवक्ताओं के माध्यम से तथ्य विवरणी तैयार कर श्री विवेक कुमार, विधि सहायक के समक्ष उपस्थापित करेंगे। श्री विवेक कुमार के द्वारा CCMS, Cause list अगली सुनवाई की तिथि/अंतरिम आदेश की स्थिति आदि की लगातार समीक्षा की जायेगी एवं उक्त वाद के संबंध में कानूनी/वैधानिक स्थिति समुचित रूप से अंकित किया जायेगा। तदोपरान्त संबंधित प्रशाखा के प्रक्रम के प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से तथ्य विवरणी की समीक्षा हेतु श्री संजय कुमार, अपर सचिव को संचिका उपस्थापित की जाएगी।

CWJC के किसी भी आदेश (अंतरिम/अंतिम) के संदर्भ में CCMS से रिट प्राप्ति के सात दिनों के अंदर अथवा अगर आदेश में निर्धारित समय सीमा हो तो निर्धारित समय सीमा के अंदर उपरोक्त सारी प्रक्रिया निष्पादित कर सचिव महोदय के समक्ष तत् संचिका उपस्थापित किया जाना सुनिश्चित की जाएगी। यही स्थिति MJC/LPA/SLP के मामलों में भी बरकरार रखी जाएगी।

(iii) श्री संजय कुमार, अपर सचिव द्वारा तथ्य विवरणी के समीक्षोपरान्त अपने मंतव्य के साथ तथ्य विवरणी पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संचिका उनके समक्ष उपस्थापित की जाएगी। आवश्यकतानुसार अपर सचिव द्वारा विशुद्ध तकनीकी मामले में तकनीकी परामर्शी (विधि) का मंतव्य प्राप्त किया जाएगा।

(iv) क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित मामले में संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा तथ्य विवरणी तैयार कर सभी आवश्यक अभिलेख एवं परिशिष्ट के साथ संबंधित प्रशाखा के प्रक्रम के प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से प्रशाखा को उपलब्ध करायेंगे। तत्पश्चात् आगे की कार्रवाई में उक्त कंडिका–(ii) एवं (iii) का अनुसरण किया जाएगा।

(v) श्री दूबे पूर्व की भाँति महाधिवक्ता कार्यालय से समन्वयन एवं वादों का समुचित रूप से अनुश्रवण करते रहेंगे।

03/01/26

(अभय झा)
अपर सचिव

ज्ञापांक:–7/अ0प्र0–1–01/2026 108 /पटना, दिनांक:– 03/01/2026

प्रतिलिपिः– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/तकनीकी परामर्शी (विधि)/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग/आई0टी0मैनेजर0, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

03/01/26

अपर सचिव

75